भारत सरकार
आयुष मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 791

29 नवम्बर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

केंद्रीय आयुष संस्थान

791. डॉ. बायरेड्डी शबरी:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश के नान्दयाल जिले में आयुष के लिए कोई केंद्रीय संस्थान स्थापित करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश के जनजातीय समुदायों के पारंपरिक आयुर्वेदिक ज्ञान का दोहन करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या आयुष चिकित्सा पद्धति के लाभों को प्रोत्साहन देने के लिए आंध्र प्रदेश में कोई कार्यक्रम/योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार द्वारा राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत नान्दयाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में चिकित्सा अवसंरचना में सुधार करने के लिए कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) नान्दयाल क्षेत्र के औषधीय पौधों के संरक्षण और सतत प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर
आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): जी नहीं, महोदय।

(ख): केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद (सीसीआरएएस) के परिधीय संस्थान, क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, विजयवाड़ा द्वारा जनजातीय उप-योजना के जनजातीय स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम (टीएचसीआरपी – टीएसपी) के अंतर्गत जनजातीय समुदाय में पारंपरिक ज्ञान धारकों द्वारा स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा और चिकित्सा पद्धतियों का दस्तावेजीकरण किया जा रहा है।

(ग) और (घ): मंत्रालय आयुष चिकित्सा पद्धति के संबंध में जनजागरूकता उत्पन्न करने तथा सूचना, शिक्षा व संचार (आईईसी) को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना का कार्यान्वयन करता है। इसका उद्देश्य आंध्र प्रदेश राज्य सहित देश की जनसंख्या के सभी वर्गों तक पहुंचना है। इस योजना में राष्ट्रीय/राज्य आरोग्य मेलों, योग फेस्ट/उत्सव, आयुर्वेद पर्व इत्यादि के आयोजन के लिए सहायता का प्रावधान है। मंत्रालय मल्टीमीडिया, प्रिंट मीडिया अभियानों के माध्यम से आयुष पद्धति के लिए जनजागरूकता का प्रचार-प्रसार करता है।

आयुष मंत्रालय के अंतर्गत, केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद (सीसीआरएच), केंद्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद (सीसीआरएस), केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद (सीसीआरयूएम) और केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद (सीसीआरएएस) स्वायत्त संगठन हैं, जिनके केंद्र आंध्र प्रदेश में कार्यरत हैं। ये अनुसंधान संगठन, अपनी अनुसंधान गतिविधियों के साथ-साथ, विभिन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम भी संचालित करते हैं, आयुष के माध्यम से लोगों के घर-घर स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करते हैं और क्षेत्र भ्रमण के दौरान चयनित क्षेत्र में जागरूकता व्याख्यान और सूचना, शिक्षा तथा संचार (आईईसी) सामग्री के वितरण के माध्यम से स्वास्थ्य, स्वच्छता और आयुष आधारित परामर्श के बारे में जागरूकता उत्पन्न करते हैं।

जन स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए आयुष अवसंरचना में सुधार संबंधित राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। आयुष मंत्रालय आंध्र प्रदेश सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के माध्यम से राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केंद्रीय प्रायोजित योजना का कार्यान्वयन कर रहा है और उनके द्वारा प्रस्तुत राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) के अनुक्रम में एनएएम दिशानिर्देशों के प्रावधान के अनुसार विभिन्न गतिविधियों के तहत उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करके आयुष चिकित्सा पद्धति के समग्र विकास और

संवर्धन के उनके प्रयासों का समर्थन कर रहा है। हालाँकि, एनएएम के तहत एसएएपी से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार, नंदयाल संसदीय क्षेत्र में 06 आयुष औषधालयों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) के रूप में उन्नयन करने के लिए समर्थन दिया गया है।

मिशन में अन्य बातों के साथ-साथ चिकित्सा अवसंरचना सहित निम्नलिखित गतिविधियों के लिए प्रावधान किया गया है: -

i. आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम)- आयुष का संचालन।
ii. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंदों (सीएचसी) और जिला अस्पतालों (डीएच) में आयुर्वेद संबंधी आयुष सुविधाओं की सह-स्थापना।
iii. मौजूदा एकल सरकारी आयुष अस्पतालों का उन्नयन।
iv. मौजूदा सरकारी/पंचायत/सरकारी सहायता प्राप्त आयुष औषधालयों का उन्नयन/मौजूदा आयुष औषधालय (किराए पर/जीर्ण-शीर्ण आवास पर) के लिए भवन का निर्माण/उन क्षेत्रों में नए आयुष औषधालय की स्थापना के लिए भवन का निर्माण, जहां कोई आयुष सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।
v. 10/30/50 बिस्तरों वाले एकीकृत आयुष अस्पतालों की स्थापना।
vi. राजकीय आयुष अस्पतालों, राजकीय औषधालयों और सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थागत आयुष अस्पतालों को अनिवार्य औषधियों की आपूर्ति।
vii. उन राज्यों में नए आयुष महाविद्यालयों की स्थापना जहां सरकारी क्षेत्र में आयुष शिक्षण संस्थानों की उपलब्धता अपर्याप्त है।
viii. आयुष स्नातक संस्थानों का अवसंरचनात्मक विकास।
ix. आयुष स्नातकोत्तर संस्थानों का अवसंरचनात्मक विकास और पीजी/फार्मेसी/पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों को शामिल करना।
x. आयुष जन स्वास्थ्य कार्यक्रम।

(ङ): आयुष मंत्रालय के राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी) ने औषधीय पौधों के संरक्षण, विकास और सतत प्रबंधन के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना के तहत, वर्ष 2014-15 के दौरान आंध्र प्रदेश के 19 वन विकास एजेंसियों (एफडीए) के माध्यम से 1900 हेक्टेयर में औषधीय पौधों, वृक्ष, जड़ी-बूटी और झाड़ी प्रजातियों के संसाधन संवर्धन परियोजना को समर्थन दिया, जिसमें नांदयाल वन प्रभाग में औषधीय पौधों के संसाधन संवर्धन के लिए 100 हेक्टेयर क्षेत्र भी शामिल है।

*****